प्रपत्र VI क

झारखण्ड सरकार

समाहरणालय पूर्वी–सिंहभूम, जमशेदपुर

(भू–अर्जन शाखा)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

संख्या–348 जमशेदपुर, दिनांक– 19-7-2018

चूंकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–लोधाशोली, थाना–घाटशिला, थाना नं0–515, अंचल–चाकुलिया, जिला–पुर्वी–सिंहभूम, में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना ओ0एल0–61, कालापाथर उप वितरणी निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एंव पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में प्राधिकृत किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–लोधाशोली, थाना–घाटशिला, थाना नं0–515, अंचल–चाकुलिया, जिला–पूर्वी–सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश–0.50 एकड़ यानि–0.202 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन हैं ....

क्र0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8			
	114	907	कायमी	गोड़ा–एक	0.10	बुदुई मांडी, पिता–किव्वा मांडी, जाति संथाल नि.नि. ग्राम	908 अंश	517 कालापाथर	907 अंश	907 अंश
	132	908	कायमी	दोन–दो	0.11	यादव वागाल, पिता–नन्द वागाल	908 अंश	907,908 अंश	908 अंश	904 अंश
	51	904	कायमी	गोड़ा–एक	0.08	गोपाल टुडु, तथा मुड़ा टुडु, नाथो टुडु, पिता–सलाई टुडु, जाति संथाल नि.नि. ग्राम	909 अंश	904 अंश	908 अंश	903 अंश
	132	903	कायमी	गोड़ा–दो	0.05	मुकरू वागाल, पिता–कांचन वागाल	909,910 अंश	903 अंश	904 अंश	903 अंश
	135	909	कायमी	गोड़ा–दो	0.05	मुकरू वागाल, पिता–कांचन वागाल	909 अंश	903,904 अंश	909 अंश	910 अंश
	132	910	कायमी	गोड़ा–एक	0.11	मुकरू वागाल, पिता–कांचन वागाल	910 अंश	903 अंश	909 अंश	902 पूर्ण
कुल–0.50 एकड़ यानि–0.202 हेक्टेयर										

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एंव पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–30/2013) की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं0–1, के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार

उक्त अधिनियम की धारा–12 में यथाउपबंधित एंव यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एंव उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं0–1, और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्वक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा–15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू–अर्जन की बावत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं0–1, के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

19/07/18

वि0भू0अ0पदा0मानगो–1,
जमशेदपुर।

19/7/18
अपर उपायुक्त
पूर्वी–सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक– 348 जमशेदपुर, दिनांक–19-7-2018

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एंव विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी–सिंहभूम, जमशेदपुर को जिले के बेवसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सूचना एंव जनसंपर्क पदाधिकारी, पूर्वी–सिंहभूम, जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान/प्रभात खबर/उदितवाणी में प्रकाशनार्थ/उप–समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट, पूर्वी–सिंहभूम जमशेदपुर के अगले अंक के जिला गजट में प्रकशनार्थ प्रेषित।

19/07/18

विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं0–1,
सुवर्णरेखा परियोजना मानगो, जमशेदपुर।